

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान

प्रकरण संख्या- 65/19/943

तारीख- 28/11/11

प्रेषित:-

तहसीलदार

विजौलियां

शंकरलाल पिता जीतमल धाकड़ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी छोटी
बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1. शिवलाल पिता चुन्नीलाल धाकड़ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी छोटी
बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
2. कन्हैयालाल पिता चुन्नीलाल धाकड़ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी छोटी
बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
3. कौलाश पिता चुन्नीलाल धाकड़ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी छोटी
बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
4. प्रभुलाल पिता चुन्नीलाल धाकड़ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी छोटी
बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128, राजस्थान भूराजस्व.अधिनियम

उपयुक्त विषयान्तगत अनुवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम बिजौलिया
खुर्द पटवार हल्का बिजौलिया खुर्द भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील
बिजौलिया जिला भीलवाडा राजस्थान में स्थित खाता संख्या 65 पर स्थित, आराजी
नम्बर 1221 क्षेत्रफल 2-01 बीघा, आराजी नम्बर 1525 क्षेत्रफल 0-15 बीघा, आराजी
नम्बर 1852/1221 क्षेत्रफल 0-06 बीघा आराजी नम्बर 2093/1218 क्षेत्रफल 0-06
बीघा उक्त भूमि मुझ प्रार्थी के खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है जिसपर की बाशमालात
पड़ोसीयान के पत्थरगढी की जावे।मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया
जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने

के लिये सूचित करे। पत्रपणदी 28/11/11 को अखिलेख निरीक्षक विजौलियां की को 6/11/2011
19/5/11 को आराजी की 52/1/11 वका पत्थरगढी 51/11/11/11
पत्थरगढी कर भोलना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
विजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान